

कार्यालय जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक / लेखा / आपदा / सहायता / भरतपुर / 2021-22 / 96)

दिनांक - 21/11/21

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

भरतपुर वर्ष 2021 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु शीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुख विभाग भरतपुर के पत्रांक 13879-88 दिनांक 20.10.2021 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या-90/2021-22 के द्वारा नगर विभाग भरतपुर के 70 कार्य एवं नगर विकास न्यायालय(पुनर्गठित) भरतपुर के 15 कार्य स्वीकृत किए गये हैं। स्वीकृत कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु 1000 आपदा भौषण निधि (एसडीआरएफ) से निगतागुण कचारे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

एकर प्रशासनिक स्वीकृति, शीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुख विभाग भरतपुर के पत्रांक 13879-88 दिनांक 20.10.2021 में वर्णित शर्तों एवं शिर्षकों के अन्तर्गत रहेगी। स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कार्यों की संख्या	एसडीआरएफ नोर्स अनुसार देय राशि (1,000/0. 60 लाख प्रति किलोमीटर)	प्रशासनिक स्वीकृति (राशि कार्य में)
	आयुक्त मयूर विधाय भरतपुर	70	51.90	51.92
2	सचिव म.आई.टी. भरतपुर	15	88.07	88.07
	योग	85	139.99	139.99

उपरोक्तानुसार रुपये 10 लाख तक के कार्य जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से निर्धारित दर पर कचारे जायेंगे। स्वीकृत राशि का व्यय सामान्य किराए एवं सेवा नियमों के अन्तर्गत एवं नगर विकास विभाग वित्तीय एवं लेखा विभाग, एसडीआरएफ, एनसीसीएफ तथा कार्यकारी विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के लिए कार्य तत्कालीन स्वीकृति से कार्य करते विभाग द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रकार के प्रशासनिक एवं कानूनी-वैधानिक कार्य पूर्ण कर सम्पादित किये जायेंगे।

विभाग द्वारा Per km. की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया गया है अतः निर्धारित दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न्य. करे। प्रत्येक उपरोक्त स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपरोक्त स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी कि कार्य एसडीआरएफ मरम्मत एवं प्रशासन अनुसार ही कराया गया है तत्पश्चात भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार इस कार्यालय द्वारा की जायेगी। जो सड़कें defect liability period के तहत आती हैं उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है। कार्यकारी एनसीसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी की वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत कार्य कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि के तत्पश्चात से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत कार्यों में लोक उपायन में पारदर्शिता अभिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्कालीन नियम/निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रिया की पालना तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जायेगी। उक्त समस्त कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संकलीत विभाग/कार्यकारी सहायक तत्कालीन स्वीकृति एकात्म अधिकारी के स्तर से जारी कर इस कार्यालय का प्रस्तुत करें। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से बजट आवंटन प्राप्त होने ही अद्योतक/कार्यकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के तत्पश्चात ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है तो इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मद 2245-प्राकृतिक विधाले के कारण सड़क, 02-बाढ़, चक्रवात आदि, 106-सड़क सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुल स्थापना, 08-बाढ़ क्षेत्र में सड़क सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुल स्थापना, 01- सड़कों की मरम्मत एवं पुल स्थापना, 21- अनुसूचित एवं मरम्मत (केन्द्रीय सहायता) प्रतिबन्ध से किया जायेगा। (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत, 25 प्रतिशत राज्य निधि)

(सिधाशु गुप्ता)
 जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
 भरतपुर

क्रमांक / लेखा / आपदा / सहायता / भरतपुर / 2021-22 / 962-972

811121

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज0 जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर।
3. सचिव / आयुक्त नगर निगम / नगर सुधार न्यास भरतपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. भरतपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता सार्व. नि. वि. भरतपुर।
6. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बयाना।
7. अधिशाषी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / नगर सुधार न्यास / नगर निगम / नगर पालिका.....।
8. उपखण्डाधिकारी.....।
9. कोषाधिकारी भरतपुर।
10. प्रभासी अधिकारी सहायता अनुभाग, कलैक्ट्रेट, भरतपुर

Ami

अति.जिला कलक्टर एवं सचिव
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
कलैक्ट्रेट भरतपुर